# S.K. CONSULTANT

ENGINEERS, ARCHITECTS & VALUERS

Near Ali Ahmad Garrage, Pili Kothi Road, Rewa (M.P.) Tel: 07662-240038 (O) 230038 (R) Mobile: 9827007225 e-mail: sandeepkumar.shrivastava@yahoo.in



#### Approved Valuer:

◆ Income Tax (Ministry of Finance Govt. of India) ◆ Union Bank of India ◆ Allahabad Bank ◆ Oriental Bank of Commerce

◆ Bank of India◆ Vijya Bank ◆ Sindicate Bank ◆ Punjab National Bank◆ Life Insurance Corporation ◆ IDBI Bank◆ Bank of Baroda

◆ Dena Bank ◆ Corporation Bank

Approved Architect : • M.P. Housing Board • Rewa Sidhi Gramin Bank

for Preparing Working drawing & detailing of R.C.C. Steel Structure, R.C.C. Tank, Multi Storied Buildings

## To whom it may so ever concern

## School Building Safety Certificate

This is to certify that Swargiya Smt. Shrawan Kumari Tiwari vidhyapeeth Siksha Samiti Rewa having its land at Ward No. 26 Kh. No. 54/25 & 55/2 at Gurh road Chirahula, Badrawn Rewa its area is 5.00 Acre, out of which land part approx. 2.5 acres of land is being used for School building & Playground The building of Shravan Kumari Higher Secondary School Rewa has been constructed with due permission of Nagar Nigam Via order No. 1161 date 22/03/2010, order No. 198/11 date 26/11/2011 & order No. 188 date 31/03/2015 up to third floor. The built up area of each floor is 641.0 Sq. m. as per photograph attached.

The vicinity in which school exist is very near to main road & surrounded by boundary wall, also proper M.O.S. are at site as per norms.

The ground coverage of building is about 30% of 2.5 Acres. By seeing & inspection at site, I am of opinion that building & surrounding having adequate safety measure & fit for school building purpose. The building is free from seismic zone and adequate sound to bear seismic effect.

> Ingineer Er. Sandeep Kr. Shrivastava

B.E. Civil Engineer. Architect Valuer, Income-Tax-CAT-I-108/32 Ministry of Finance (Govt. of India)

Saffiner Inetigite of asteora) ndia Consultant Rewa 9827007225

Chartered Engineer' IEIM-149948-8

Principal Shravan Kumari Hr. Sec. School Chirahula, Rewa (M.P.) C.B.S.E. Affiliation No.-1030657 School No.-50620

# S.K. CONSULTANT

### ENGINEERS, ARCHITECTS & VALUERS

Near Ali Ahmad Garrage, Pili Kothi Road, Rewa (M.P.) Tel: 07662-240038 (O) 230038 (R) Mobile: 9827007225 e-mail: sandeepkumar.shrivastava@yahoo.in




#### Approved Valuer:

- Income Tax (Ministry of Finance Govt. of India)
  ◆ Union Bank of India
  ◆ Allahabad Bank
  ◆ Oriental Bank of Commerce
- ♦ Bank of India♦ Vijya Bank ♦ Sindicate Bank ♦ Punjab National Bank♦ Life Insurance Corporation ♦ IDBI Bank♦ Bank of Baroda
- ◆ Dena Bank ◆ Corporation Bank

Approved Architect: • M.P. Housing Board • Rewa Sidhi Gramin Bank

for Preparing Working drawing & detailing of R.C.C. Steel Structure, R.C.C. Tank, Multi Storied Buildings





### संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल Shivaji Nagar, Bhopal - 462016 Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal Website: www.mpurban.gov.in

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Tel. 0755-2554081, Fax 0755-25540

कमांक/बां.प्र./2015/ 5525

भोपाल, दिनांक 5 / 6/2015

प्रति.

वास्ते एव. श्रीमती श्रवण कुमारी तिवारी, विद्यापीठ शिक्षा समिति. वार्ड क. 26, रीवा (म.प्र.)

विषय:- सचिव वास्ते स्व. श्रीमती श्रवण कुमारी तिवारी विद्यापीठ शिक्षा समिति, वार्ड क. 26, रीवा द्वारा ख.नं. 54/25, बदरांव, तह, हुजूर, जिला रीवा में प्रस्तावित 15 मी. ऊँचे रकूल भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापित प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भः- आपका आवेदन इस कार्यालय में आवक दिनांक 21.05.2015।

विषयान्तर्गत सचिव वास्ते स्व. श्रीमती श्रवण कुमारी तिवारी विद्यापीठ शिक्षा समिति, वार्ड क. 26, रीवा द्वारा ख.नं. 54/25, बदरांव, तह. हुजूर, जिला रीवा में प्रस्तावित 15 मी. ऊँचे स्कूल भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार कराकर (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित ५३ बिन्दुओं की जानकारी भी आकिटेक्ट/स्ट्रक्चर इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई हैं, जिसके साथ ले-आउट प्लान तथा स्वीकृत भवन अनुज्ञा की प्रति संलग्न की गई है।

गटित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदकों को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा :-

- निम्निलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-
  - Access.
  - 2-Wet Riser.
  - Down Comer.
  - Hose Reel.
  - Automatic Sprinkler System.
  - Yard Hydrant.
  - 7. U.G. Tank with Draw off Connection.
  - Terrace Tanks.
  - 9. Fire Pump.
  - 10-Terrace Pump.
  - 11-First Aid Fire Fighting Appliances.
  - 12-Pressurization System.
  - 13-Auto Detection System.
  - 14-Manual operated Electrical Fire Alarm System.
  - 15-P.A. System with talk back facility.
  - 16-Emergency Light.
  - 17-Auto D.G. Set.
  - 18-Illuminated Exit Sign.
  - 19. Means of Escape.
  - 20-Compartmentation.
  - 21-MCB/ELCB.
  - 22-Fireman Switch in Lift.
  - 23-Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
  - 24. Refuge Area.

coul two Manager

Shravan Kumari Hr. Sec. School Chirahula, Rewa (M.P.)

Principal Shravan Kumari Hr. Sec. School Chirahula, Rewa (M.P.)

--2--

- उपरोक्त लिखित 24 विन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट-4, के देवल 23 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान (11) अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायदिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट-४ के अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम 1984 एवं भारतीय मानक संहिता में निर्धारित अन्य मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना (III)अनिवार्य होगा।
- नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 के प्रावधान के पालन में, भवन के स्वीकृत अभिन्यास के स्वीकृत एम.ओ.एस. में चारो ओर कम से कम 6.0 मी. चौड़ाई का (IV) एम.ओ.एस. 6.0 मीटर ऊवाई तक फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु खुला रखना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तद्रोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जायेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुझा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तो एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई हैं और तद्बुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अञ्ज प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित) संलग्न-फायर फायटिंग प्लान एवं नक्शों का एक सेट।

> (एल.एस. बघेल) स्वशीक्षण, वजीत नगरीय अश्रीसना एवं विकास.

भोपाल, दिनांक 5 1 6 12015

प्राष्ट्रां. कमांक/यां.प्र./2015/5526 प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)।

2. पुलिस अधीक्षक, जिला रीचा (म.प्र.)।

आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा (म.प्र.)।

4. संयुक्त संवालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा (म.प्र.)।

umdely, oc

Shravan Kumari Hr. Sec. School Chirahula, Rewa (M.P.)

अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, न्यक्षितः भोपाल नगरीय प्रतसम्बद्धाः

ar sign

Principal

Shravan Kumari Hr. Sec. School Chirahula, Rewa (M.P.) C.B.S.E. Affiliation No.-1030657 School No -50620